

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 23, शुक्रवार, शाके 1947- नवम्बर 14, 2025 Kartika 23, Friday, Saka 1947- November 14, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2025

संख्या प.3(16)वन/2025 :-यतः राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) फार./ 55 दिनांक 07.11.1955 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 39 (2) रेव.ऐ/ 54 दिनांक 05.08.1958 द्वारा सरिस्का क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र (Reserved Area) घोषित किया गया था, जिसकी सीमाओं का विवरण अनुसूची- I के अनुसार है।

अनुसूची - I

पूर्व:- डांगरवाडा, बोरेठा, थोंसडा, नयागाँव, भण्डोडी, बालेटा, मुण्डावरा, पृथ्वीपुरा, इम्टीपुरा, चांद पहाड़ी, निर्भयपुरा एवं धर्मपुरा गांव।

पश्चिम:- मुण्डावरा, रैकामाला, दुहारमाला, थानागाजी, अमराकाबास, जोधावास, श्यामपुरा, रायपुरा, गोपालपुरा, जैतपुरा गांव।

उत्तर:- मुण्डावरा, मानावास गांव, आडामाला रिजर्वड वन रईका गुवाडा और कालीखोल रिजर्व फोरेस्ट।

दक्षिण:- सीलीबावडी रिजर्व फोरेस्ट, कालवाड गांव, तिलवाड रिजर्व फोरेस्ट, दबकन, घेवर, चावा का बास, मुरलीपुरा, नाडू गांव और टहला राजगढ रोड।

और यतः उक्त घोषित आरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची- II में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र सम्मिलित है।

अनुसूची - II

(वन क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में वन क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	नाम वन खण्ड	कुल क्षेत्रफल	अभयारण्य में शामिल क्षेत्रफल	वि० वि०
1	2	3	4	5
1.	कुशालगढ़	1319.50	1319.50	-
2.	क्रास्का	1314.25	1314.25	-
3.	जोधावास मय राजोर	1359.00	1359.00	-
4.	कालीघाटी	6902.00	6902.00	-

5.	टोडी निझरान	230.00	230.00	-
6.	कांकवाडी	3217.00	3217.00	-
7.	कुशालगढ़	227.91	227.91	-
8.	क्रास्का	1216.74	1216.74	-
9.	इन्दौक	1313.61	1313.61	-
10.	कालाछारा	219.92	219.92	-
11.	करनाकाबास	323.20	323.20	-
12.	अमराकाबास	216.30	216.30	-
13.	दबकन	1492.75	1492.75	-
14.	टहला मय भगानी	2482.50	2482.50	-
15.	नांड़ू	6944.50	6944.50	-
16.	उमरी-देवरी	7469.75	7469.75	-
17.	राजौर	2426.93	2426.93	-
18.	मित्रावट	39.32	39.32	-
19.	कान्यावास	83.71	83.71	-
20.	सिलीबेरी	6870.00	6870.00	-
21.	माधोगढ	2217.00	1377.00	आंशिक
22.	बनी तालवृक्ष	103.75	103.75	-
23.	नांगलहेडी	919.57	919.57	-
24.	बैरावास	1354.49	600.00	आंशिक
25.	रैकामाला	530.31	530.31	-
कुल योग			49199.52	

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का अभयारण्य में राजस्व क्षेत्र (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	नाम ग्राम/रूंध	नाम तहसील	अभयारण्य में शामिल राजस्व/अन्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	नांगलहेडी	थानागाजी	139.25
2.	कुण्डलका	थानागाजी	118.42
3.	रैकामाला	थानागाजी	159.98
4.	बैरावास	थानागाजी	295.54
5.	कुशालगढ़	अलवर	770.40
6.	क्रास्का	अलवर	17.22

7.	इन्दौक	अलवर	1611.08
8.	माधोगढ	अलवर	779.51
9.	धर्मपुरा	अलवर	50.36
10.	कालाछारा	अलवर	107.71
11.	मित्रावट	राजगढ	63.63
12.	कान्यावास	राजगढ	5.55
13.	राजौर मय मांडलवास	राजगढ	341.33
14.	गढ	राजगढ	224.77
15.	उमरी देवरी	राजगढ	236.86
16.	दबकन	राजगढ	302.03
कुल योग			5223.64

क्र.सं.	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का कुल क्षेत्र (है.)	
1.	वन क्षेत्र	49199.52
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64
कुल क्षेत्र		54423.16

और यतः राजस्थान एन्ट्रेस टू दी गेम सैन्चूरीज रूल्स, 1958 के नियम 2 में राजस्थान वाइल्ड एनीमल्स एण्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र सैन्चूरीज (अभयारण्य) के रूप में परिभाषित है, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र अभयारण्य घोषित है।

और यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सूओ मोटो प्रकरण संख्या 01/2023, रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 टी.एन. गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य में सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रस्तावित अभिशंषाओं के बिन्दु संख्या 12 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 की पालना में अति. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. नंबर 3(45)फोरेस्ट/2024-08281 दिनांक 10.01.2025 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा बाघ परियोजना सरिस्का के क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट क्षेत्र का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की सहमति व्यक्त करते हुये जिन क्षेत्रों को क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट क्षेत्र में समायोजित किया जाना है, उन क्षेत्रों को सरिस्का अभयारण्य घोषित किये जाने के आशय का अनुमोदन किया गया है।

और यतः क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट का युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने के प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मण्डल, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल द्वारा अनुमोदित / स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अतः अब वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अनुसूची- III में वर्णित वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने के अपने आशय की

एतद्वारा घोषणा करती है। उक्त सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची- III में वर्णित वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र की भूमियों को सम्मिलित किये जाने के पश्चात उसकी सीमाएँ अनुसूची- IV के अनुसार होगी।

अनुसूची- III

(वन क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त वन क्षेत्र

क्र.सं.	वनखण्ड का नाम	वन क्षेत्र (हैक्टेयर)	जिला का नाम	वि० वि०
1	2	3	4	5
1.	दुहारमाला	1673.86	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
2.	थानागाजी	235.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
3.	भूडियावास	129.12	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
4.	रायपुरा	210.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
5.	दबकन	230.71	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
6.	हरिपुरा	390.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
7.	टहला (डी, ई, एफ, जी)	110.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
8.	नांडू	822.55	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
9.	सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ)	174.45	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
10.	तिलवाड मैन	667.83	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
11.	बीणक	6225.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
12.	कालीखोल	3307.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
13.	पृथ्वीपुरा	329.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
14.	माधोगढ	649.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
15.	ढहलावास	64.77	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
16.	बख्तपुरा	67.18	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
17.	किशनपुर	418.17	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
18.	गोपालपुरा	107.22	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
19.	धर्मपुरा	325.07	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
20.	माधोगढ	840.00	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
21.	धंवाला	151.75	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
22.	पृथ्वीपुरा	1081.82	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
23.	रामपुर	4244.75	कोटपुतली-बहरौंड	आरक्षित वन क्षेत्र
24.	बैरावास	754.49	कोटपुतली-बहरौंड	रक्षित वन क्षेत्र

25.	तोलावास	210.09	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
26.	बिलाहठ	268.53	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
27.	बासना	42.12	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
28.	बिसालु	179.59	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
29.	रामपुर-2	194.41	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
30.	रामपुर-3	40.46	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
31.	रामपुर-4	710.86	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
32.	नाथूसर	535.24	कोटपुतली-बहरोंड	रक्षित वन क्षेत्र
33.	सीरावास	2555.59	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
34.	सैदावास	3726.90	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
35.	डडीकर	2808.73	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
36.	सिलीबावडी	2553.25	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
37.	अजबगढ	465.75	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
38.	भानगढ	1127.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
39.	नारायणीजी	1458.00	अलवर	आरक्षित वन क्षेत्र
40.	अजबगढ	95.25	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
41.	पिपलाई मैन	1391.88	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
42.	खिरतकाबास	118.79	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
43.	भानगढ	462.35	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
44.	धीरोडा	421.05	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
45.	धीरोडा	610.9	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
46.	पावटा	61.37	अलवर	रक्षित वन क्षेत्र
कुल योग		43249.31		

(राजस्व क्षेत्र)

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य मे नये सम्मिलित किये जाने वाला अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	जिला का नाम	राजस्व क्षेत्र (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	नाथूसर	बानसूर	कोटपुतली-बहरोंड	392.22
2.	रईका	मालाखेडा	अलवर	5.00
3.	दुहारमाला	थानागाजी	अलवर	536.22
4.	रायपुरा	थानागाजी	अलवर	56.24
कुल योग				989.68

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची- III के अनुसार नये सम्मिलित किये जाने वाला कुल अतिरिक्त क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	2	3
1.	वन क्षेत्र	43249.31
2.	राजस्व क्षेत्र	989.68
कुल क्षेत्र		44238.99

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची- III में वर्णित अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र का विवरण (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	विवरण	पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र	नवीन सम्मिलित किया गया क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
1.	वन क्षेत्र	49199.52	43249.31	92448.83
2.	राजस्व क्षेत्र	5223.64	989.68	6213.32
कुल योग		54423.16	44238.99	98762.15

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अतिरिक्त वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात वन क्षेत्र (क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र) का विवरण:-

Rationalized (युक्तिकरण) क्रिटिकल टाईगर हैबिटाट का क्षेत्र	पूर्व में अधिसूचित सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का वन क्षेत्र	सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किया गया अतिरिक्त वन क्षेत्र
92448.83 है.	49199.52 है.	43249.31 है.

अनुसूची- IV

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में अनुसूची- III में वर्णित नये राजस्व क्षेत्र एवं वन क्षेत्र सम्मिलित किये जाने के पश्चात सीमा विवरण:-

1. दिशा उत्तर

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वन खंड हाजीपुर, रामपुर II, III, IV, बिलाहठ, बासना, बिसालु, ढहलावास, बख्तपुरा, किशनुपर और आरएफ वन खंड रामपुर, डडीकर, सीरावास, सैदावास, बीणक की बाहरी सीमा

2. दिशा पूर्व

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड सावडी, धंवाला, गोपालपुरा, धर्मपुरा, माधोगढ, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी (मैन, ए, सी, डी, ई, एफ) आरएफ वन खंड कालीखोल, पृथ्वीपुरा, सिलीबेरी मय बालेटा, उमरी-देवरी की बाहरी सीमा

3. दिशा दक्षिण

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड वन खंड नांडू, टहला (डी, ई, एफ, जी), दबकन, तिलवाड मैन, पावटा, खिरतकाबास, धीरोडा, धीरोडा, भानगढ आरएफ वन खंड नांडू, टहला मय भगानी, दबकन, राजौर, रूंध नारायणीजी, भानगढ, अजबगढ की बाहरी सीमा

4. दिशा पश्चिम

सरिस्का बाघ रिजर्व पीएफ वनखण्ड पिपलाई मैन, अजबगढ, रायपुरा, अमराकाबास, थानागाजी, दुहार माला, अमराकाबास, थानागाजी, दुहारमाला, भूडियावास, तोलावास, रैकामाला, बैरावास, आरएफ वन खण्ड रूंध नारायणीजी, सिलीबावडी, टोडी निझरान, जोधावास मय राजौर, कालीघाटी, बनी तालवृक्ष की बाहरी सीमा ।

सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत जिला कलक्टर अलवर एवं कोटपूतली-बहरोड समुचित कार्यवाही करेंगे तथा साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2025 के अन्तर्गत क्रिटिकल टाईगर हैबीटाट के संबंध में आपत्तियों को प्राप्त कर, उन पर सुनवाई भी करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय ,

विशिष्ट शासन सचिव (वन)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।